रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272808
CG-DL-E-22052026-272808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948
No. 140] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

## (निवेश संवर्धन अनुभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

**फा. सं. पी-36017/33/2024-निवेश संवर्धन- भाग (2).—** केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, निवेश संवर्धन स्कीम (एसआईपी) को 996 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ पांच वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) की अवधि के लिए जारी रखने को अनुमोदन प्रदान किया है। इस स्कीम के अंतर्गत देश में सक्रिय रूप से निवेशकों लक्षित करने और क्षमता निर्माण हेतु निवेश संवर्धन और विस्तार के लिए विभिन्न घटक और कार्यकलाप शामिल हैं।

देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के अपने अधिदेश के भाग के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), मेक इन इंडिया, चैंपियन क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की स्थापना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जैसी विभिन्न पहलें और सुधार कर रहा है। इन कार्यकलापों को, दिनांक 11 नवम्बर, 2008 के का.ज्ञा. संख्या 11(1)/2004 आईपी एंड आईसी-IV के तहत प्रारंभ की गई निवेश संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम की अंतिम कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021-26 से थी।

निवेश संवर्धन स्कीम (एसआईपी) का उद्देश्य, देश में निवेश बढ़ाने का माहौल बनाना है। निवेश की गति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए, "निवेश संवर्धन स्कीम" के तहत कार्यकलापों को अधिक केंद्रित और लक्षित रूप से जारी रखना

महत्वपूर्ण है, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा सके। इसे देखते हुए, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक "निवेश संवर्धन स्कीम" को निम्नलिखित घटकों के साथ जारी रखने को अनुमोदन प्रदान किया गया है: -

i) निवेशकों को लक्षित करना और सुविधा प्रदान करना- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप

ii) निवेश संवर्धन- विस्तार और आउटरीच कार्यकलाप

iii) परियोजना प्रबंधन सहायता कार्यकलाप

**1. निवेशकों को लक्षित करना और सुविधा प्रदान करना - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप**

निवेश के संपूर्ण जीवन-चक्र के दौरान निवेशकों को सहायता प्रदान करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं का प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए और भावी निवेशकों को विभिन्न सेवाएं, जैसे स्थल विश्लेषण और पहचान, विनियामक परामर्श, परियोजना अनुमोदन और मंजूरी के संबंध में केंद्र और राज्य स्तर पर सहायता प्रदान की जाती है। निवेशकों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने के तहत किए जाने वाले अन्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i) निवेशकों को लक्षित करने और सुविधाएं प्रदान करने पर सुनियोजित रूप से ध्यान केंद्रित करना;

ii) घरेलू विस्तार

iii) सीईओ फोरम और संयुक्त आयोग की बैठकें

iv) परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी)

v) राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस)

vi) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)

**2. निवेश संवर्धन- विस्तार और आउटरीच कार्यकलाप**

भारत को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाए रखने और इस स्थिति को मजबूत करने के लिए, देश तथा क्षेत्र संबंधी विश्लेषण के आधार पर, चिन्हित देशों तथा प्रत्येक लक्षित देश के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से विभिन्न सेक्टरों को लक्षित करने, आउटरीच तथा निवेश सुविधा संबंधी कार्यकलाप किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तर पर निवेश सुविधा प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। संवर्धन की दिशा में अन्य उप-कार्यकलाप निम्नानुसार हैं –

i) विस्तार और आउटरीच के लिए ब्रांडिंग और संवाद रणनीतियों को कार्यान्वित करना।

ii) निवेश संवर्धन कार्यकलापों और मेक इन इंडिया पहल के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सहायता प्रदान करना।

iii) राज्य सरकारों को उनके निवेश संवर्धन कार्यकलापों में सहायता प्रदान करना।

iv) निवेश संवर्धन कार्यकलापों के लिए उद्योग संघों को सहायता प्रदान करना।

*"व्यापार और निवेश संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन" संबंधी दिशानिर्देश www.dpiit.gov.in पर उपलब्ध हैं।*

**3. परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप**

स्कीम का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना प्रबंधन सहायता प्रदान करने हेतु परामर्श एजेंसियों/परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जाएगा। एजेंसी/परामर्शदाता, निवेश आकर्षित करने के लिए नवीन परियोजनाओं के लिए उद्योग/क्षेत्र-विशिष्ट रिपोर्ट और अवधारणा पत्र तैयार करने के माध्यम से क्षमता निर्माण की दिशा में भी सहायता प्रदान करेगी/करेगा।

निधि केसरवानी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)**

(INVESTMENT PROMOTION SECTION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

**F. No. P-36017/33/2024-Investment Promotion-Part(2):** The Central Government has approved for continuation of the Scheme for Investment Promotion (SIP), a Central Sector scheme, for the duration of five years (i.e., FY 2026-27 to 2030-31) with a financial outlay of INR 996 crores. The scheme comprises components and activities for promotion and amplification of investment into the country; proactive investor targeting & capacity building.

As part of its mandate to attract foreign investments in the country, the Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT) under the Ministry of Commerce & Industry has been has been undertaking various initiatives and reforms such as the Make in India, supporting champion sectors and subsectors, setting up of an Empowered group of secretaries, Ease of Doing Business (EODB) and National Single Window System amongst others. These activities are being supported under the "Scheme for Investment Promotion" launched vide OM No. I l(I)/2004-IP&IC-IV dated November 11th, 2008. The last implementation period of the scheme was from the Year 2021-26.

The Scheme for Investment Promotion (SIP) aims at creating an atmosphere of increased investments into the country. To sustain and take the investment momentum forward, it is important to continue with the activities under "Scheme for Investment Promotion" in a more focused and targeted manner thereby promoting Make in India and AatmaNirbhar Bharat. Given this, continuation of the "Scheme for Investment Promotion" from FY 2026-27 to 2030-31 has been approved with the following components:-

i) Investor targeting & facilitation – Domestic & International activities

ii) Investment promotion - Amplification & outreach activities

iii) Project management support activities

**1. Investor targeting & facilitation – Domestic & International activities**

The provision of high-quality services to support investors throughout the investment life cycle is extremely important. Various services, such as, location analysis and identification, regulatory advisory, support regarding project approvals and clearances at Central and State level, amongst others, are provided to the new and prospective investors. Other activities that would be taken up under investor facilitation include, –

i) Focused investor targeting & facilitation;

ii) Domestic Expansion

iii) CEO forums and Joint Commission Meetings

iv) Project Monitoring Group (PMG)

v) National Single Window System (NSWS)

vi) One District One Product (ODOP)

**2. Investment promotion - Amplification & outreach activities**

To sustain and enhance the momentum towards making India the preferred investment destination, focused sector targeting, outreach, and investment facilitation is being done in identified countries and specific regions within each target country, based on the Country sector analysis. An inclusive approach is being followed to involve all the stakeholders involved in the investment facilitation process both for international and domestic engagements. Other sub-activities on the promotion front are –

i) Executing branding and communication strategies for amplification & outreach

ii) Support to Indian Missions abroad for investment promotion activities and Make in India initiative

iii) Support to State Governments in their investment promotion activities

iv) Support to industry associations for investment promotion activities

*The guidelines for "Organization of business and investment promotion events" are available at www.dpiit.gov.in.*

**3. Project management activities**

To ensure effective management of the scheme, consulting agencies/consultants to be engaged to provide project management support. The agency/consultant will also assist in capacity building through the preparation of industry/sector-specific reports and concept papers for innovative projects to attract investments.

NIDHI KESARWANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.05.22 22:53:47 +05'30'